रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2004.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 20 अप्रैल, 2004/31 चैत्र, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 18 मार्च, 2004

संख्या ई0 एक्स0 एन0-एफ (5) 2/2004.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश में यात्रियों और सामान पर कर लगान का अधिनियम, 1955 की धारा 10 के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 15-12-2000, 22-10-2001 और 21-2-2002 का क्रम जारी रखते हुए, भारतीय खेल प्राधिकरण को हिमाचल प्रदेश के शिलारू में स्थित खेल प्राधिकरण उच्च संस्थान प्रशिक्षण केन्द्र की ओर से, प्रशिक्षित खिलाड़ियों (ऐथलीटस) को लाने और ले जाने के लिए प्रयुक्त इसके स्वातित्वाधीन बस संख्या PB-11-S-9878 की बाबत उपर्युक्त अधिनियम की धारा 3 और 3-क के अधीन संदेय यात्री कर और प्रभार के संदाय से 1-3-2004 से 31-3-2005 तक के लिए छूट प्रदान करते हैं ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
प्रधान सचिव ।

[*Authoritative English test of this department notification No. EXN-F* (5) 2/2004 *dated* 18-3-2004, *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, *the* 18*th March,* 2004

No. EXN-F (5) 2/2004.—In exercise of the powers vested in him under section 10 of the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955 (Act No. 15 of 1955) and in continuation to this department notifications of even number dated 15th December, 2000, 22nd October, 2001 and 21st February, 2002, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to grant exemption to Sports Authority of India from the payment of passengers tax and surcharge payable under section 3 and 3-A of the aforesaid Act in respect of Bus No. PB-11-S-9878 owned/used to transport trainee athletes to and from Sports Authority High Altitude Training Centre at Shilaroo, Himachal Pradesh from 1-3-2004 to 31-3-2005.

By order/-
Sd/-
Pr. Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित